

## FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

बनाम कांतू  
 किस्म मुकदमा प्राथीना पत्र नं. 10 सन् २०१९

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
04/19	<p>प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एफ. आर. जंच प्रस्तुत हुआ। दृष्ट रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्राथी <u>भाणकचन्द</u> पिता <u>रामलाल</u> सुपार निवासी <u>रेनखेडा</u> हाल <u>झालरबावडी</u> ने ग्राम <u>रेनखेडा</u> स्थित <sup>सह</sup> खेतपारी की आराजी नम्बर <u>831</u> रकबा <u>0.76</u> हे <u>857</u> की पत्थरगदी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी प्राथी के सह खेतपारी एक से दृष्ट रेकार्ड है।</p> <p>इतः प्राथी की ग्राम <u>रेनखेडा</u> स्थित आराजी नम्बर <u>831</u> रकबा <u>0.76</u> हे <u>857</u> की बिना किसी के फट्टे के दरबान्गणी बिना सेटलमेंट नबसे अनुसार पत्थरगदी करणे के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगदी सच्ची प्राथी पहन करेगे। कमिश्नर शुल्क 500/- रुपए आधरे पांच सौ रुपए प्राथी से वसूल हो पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को निरत्रा जावे कि पश्तकारण को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आराजी की पत्थरगदी की जावे एवं कोई विचार हो तो पुनः देखा करे पालना प्राप्त हो। पत्रावली के लाल शुमार हेफर नम्बर से कम है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

